Order Sheet [Contd] Case No 376/17 बी०ए

	Case No <u>570/</u>	<u>17</u> 9105
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.11.2017	पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। अविदर्क / अभियुक्त अंगदिसंह द्वारा श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता उप०। प्ररेषादी विद्युत विभाग द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०। प्रकरण कमांक 199 / 12 विद्युत बनाम अंगद ओझा (पिरवाद) का मूल अभिलेख प्राप्त। आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक के भाई सोनपाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्निम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। अावेदक की ओर से सूची सहित दस्तावेज आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। नकल दिलाई गई। आवेदक के अग्निम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 भांठदं०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। अावेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक की बल्दियत राजेन्द्र सिह न होकर विजयराम है अर्थात जिस व्यक्ति की इस प्रकरण में आवश्यकता है आवेदक वह व्यक्ति नहीं है परंतु नाम एक ही होने से उसकी अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी की आशंका है। आवेदक ग्राम समता नगर मालनपुर थाना मालनपुर तहसील गोहद का सीधा सादा संग्रात व्यक्ति है। पुलिस मालनपुर ने कोई झूठा अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आवेदक को उक्त झूठे अपराध में गिरफ्तार कर यातनाएं देना चाहती है। जबिक आवेदक द्वारा कोई अपराध महीं किया गया है। आवेदक अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। उवत आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की ग्रार्थना की गई है। परिवादी की ओर से घार विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि	
	परिवाद के अनुसार विद्युत विभाग के द्वारा चैकिंग के दौरान अंगद सिंह के द्वारा मण्डल कम्पनी के ट्रासफार्मर से दो सफेद रंग के तार डालकर विद्युत का	

अप्राधिकृत रूप से उपयोग करते पाया गया था। विद्युत विभाग के द्वारा 13.03. 12 को स्थल पर कार्यवाही की गई तथा दिनांक 13.09.12 को यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से पूर्व में भी अपनी बल्दियत के संबंध दिनांक 20.05.14 को आवेदन प्रस्तुत किया था जो कि वर्तमान में भी लंबित है जिसके संबंध में आवेदक स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही कर सकता है। वास्तव में मूल प्रकरण आवेदक के विरुद्ध है या किसी ओर से विरुद्ध है इसका निराकरण आवेदक के उपस्थित होने पर गुण दोष के आधार पर किया जा सकता है। इस न्यायालय में जो परिवाद प्रस्तुत हुआ है, उसका निराकरण गुणदोषों के आधार पर होना है। उक्त परिवाद वर्तमान तक किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवेदक / अभियुक्त अंगदिसंह के विरुद्ध जो वारंट जारी किया गया है वह इसी न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के लिए धारा—438 दं0प्र0सं० के प्रावधान अकर्षित नहीं होते है। आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही कर सकता है।

न्यायालय के द्वारा जारी वारंट के संबंध में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

इस आदेश की सत्यप्रति प्रकरण क्रमांक 199/12 विद्युत के मूल अभिलेख के साथ संलग्न की जावे।

नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

> द्वि. अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद वास्ते—विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला— भिण्ड म०प्र०

THE REST PRESENT AND STREET OF THE PARTY OF

WINDOW PARON PARON SUNTIN BUSINESS OF THE PARON PARON